

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग  
संख्या:-05/स्था0-256/2007 (खंड)

आदेश


बिहार विद्युत विनियामक आयोग, पटना के आदेश ज्ञापांक-391 दिनांक-31.03.2017 के आलोक में उक्त कार्यालय के अनुपयोगी हल्के वाहन को निष्प्रयोजित (Condemned) घोषित करने हेतु गठित समिति के सदस्य के रूप में श्री विनय शंकर तिवारी, मोटर यान निरीक्षक, अरवल को (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त) मनोनित किया जाता है।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-05/स्था0-256/2007 (खंड) 1842/परि0, पटना, दिनांक 12/4/17

प्रतिलिपि:- जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल/श्री विनय शंकर तिवारी, मोटर यान निरीक्षक, जिला परिवहन कार्यालय, अरवल को (मुख्यालय में प्रतिनियुक्त) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। श्री तिवारी को निदेशित किया जाता है कि उपरोक्त समिति की दिनांक-13.04.2017 को आहुत बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।

  
राज्य परिवहन आयुक्त,  
बिहार, पटना।